2. श्री गुरविन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 11–07–2017

.....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि रेकार्ड देखकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि हस्तगत प्रकरण में भूमि खरीद की गई है इसलिए धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रकरण नहीं बनता है। अतः शिकायत खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में मुख्य दो बिन्दु उठाये हैं। प्रथम – अप्रार्थिया के पति के नाम से हरियाणा में भवनपुर रोही तहसील फतेहाबाद में 25–00 बीघा राजस्व रेकार्ड में भूमि है। अप्रार्थिया द्वारा इस तथ्य को छुपा कर चक 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर में खाता सं0 64/75 में रकबा अपने नाम से अलॉट करवा लिया। द्वितीय– अप्रार्थिया राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। गलत वोटरलिस्ट तैयार करवा कर रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा से अपने नाम करवा लिया है।

पत्रावली में संलग्न बैयनामों की प्रतियों के अवलोकन से पाया गया कि शंकर पुत्र स्व0 लालसिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर ने दो बैयनामों द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती रानी द्वारा चक 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर के खाता सं0 64/75 में 7–7 बीघा कुल 14–00 नहरी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 12–10–2010 को बेचान की गई है। उक्त बैयनामें उप पंजीयक, सादुलशहर से पंजीबद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ निर्वाचक नामावली, 2014 विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की पेश की गई है, जिसमें अप्रार्थिया रानी का नाम क्रम सं0 222 पर अंकित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने सारवान दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि अप्रार्थिया के पति के नाम से हरियाणा में कृषि भूमि है और वह राजस्थान की मूल निवासी नहीं है जबकि निर्वाचक नामावली, 2014 विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में अप्रार्थिया रानी का नाम क्रम सं0 222 पर अंकित है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि राजस्थान राज्य के बाहर का व्यक्ति राजस्थान में भूमि नहीं खरीद सकता है। अप्रार्थिया द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 12–10–2010 को भूमि खरीद की गई है इसलिए खरीद की गई भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

11/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

प्रकरण सं0 01/16 अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम मिलखराज बनाम रानी

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गुरविन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 11–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि रेकार्ड देखकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि हस्तगत प्रकरण में भूमि खरीद की गई है इसलिए धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रकरण नहीं बनता है। अतः शिकायत खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में मुख्य दो बिन्दु उठाये हैं। प्रथम – अप्रार्थिया के पति के नाम से हरियाणा में भवनपुर रोही तहसील फतेहाबाद में 25–00 बीघा राजस्व रेकार्ड में भूमि है। अप्रार्थिया द्वारा इस तथ्य को छुपा कर चक 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर में खाता सं0 64/75 में रकबा अपने नाम से अलॉट करवा लिया। द्वितीय– अप्रार्थिया राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। गलत वोटरलिस्ट तैयार करवा कर रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा से अपने नाम करवा लिया है।

पत्रावली में संलग्न बैयनामों की प्रतियों के अवलोकन से पाया गया कि शंकर पुत्र स्व0 लालसिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर ने दो बैयनामों द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती रानी द्वारा चक 6 एस डी एस तहसील सादुलशहर के खाता सं0 64/75 में 7–7 बीघा कुल 14–00 नहरी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 12–10–2010 को बेचान की गई है। उक्त बैयनामें उप पंजीयक, सादुलशहर से पंजीबद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ निर्वाचक नामावली, 2014 विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की पेश की गई है, जिसमें अप्रार्थिया रानी का नाम क्रम सं0 222 पर अंकित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने सारवान दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि अप्रार्थिया के पति के नाम से हरियाणा में कृषि भूमि है और वह राजस्थान की मूल निवासी नहीं है जबकि निर्वाचक नामावली, 2014 विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में अप्रार्थिया रानी का नाम क्रम सं0 222 पर अंकित है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि राजस्थान राज्य के बाहर का व्यक्ति राजस्थान में भूमि नहीं खरीद सकता है। अप्रार्थिया द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामों से दिनांक 12–10–2010 को भूमि खरीद की गई है इसलिए खरीद की गई भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/17

अतिरिक्त जिला